



2026:AHC:54271

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 122/2026

प्रवेश

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता	: बृज लाल शुक्ला, रघुबीर सिंह, विवेक शुक्ला
प्रतिपक्ष के अधिवक्ता	: आयुष मिश्रा, शसकीय अधिवक्ता, राजर्षि गुप्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रघुबीर सिंह तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आयुष मिश्रा को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. प्रारम्भ में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके पास 40 लाख रुपये के बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध हैं, जिन्हें वे सूचनाकर्ता अथवा उसके अधिवक्ता को देने के निर्देश में हैं।
3. इसके विपरीत, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा ने कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल से किसी भी राशि स्वीकार करने के संबंध में निर्देश प्राप्त नहीं हैं।
4. ऐसी स्थिति में, वाद को नवीन रूप से दिनांक 17.03.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।
5. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उक्त तिथि पर आवश्यक निर्देश प्राप्त करें अथवा सूचनाकर्ता की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें।
6. आवेदक द्वारा विवादित धनराशि का भुगतान करने की इच्छा को दृष्टिगत रखते हुए, अगली तिथि तक, यदि आवेदक-प्रवेश की गिरफ्तारी होती है, तो उसे वाद अपराध संख्या 128/2025, धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-सेक्टर-142, नोएडा, जनपद-गौतम बुद्ध नगर में, निजी मुचलका तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर तत्काल अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, निम्न शर्तों के अधीन—
 - (i) आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर पूछताछ हेतु उपलब्ध रहेगा;
 - (ii) आवेदक किसी भी व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) आवेदक अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/डराने का प्रयास नहीं करेगा।”

2. आज वाद पुकारे जाने पर, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आयुष मिश्रा ने निवेदन किया कि उन्हें अपने मुवक्किल से निर्देश प्राप्त हो गए हैं, जिसके अनुसार उन्होंने 40 लाख रुपये के बैंक ड्राफ्ट स्वीकार करने हेतु सहमति दी है। 40 लाख रुपये के बैंक ड्राफ्ट, अर्थात् बैंक ड्राफ्ट संख्या 572607 (₹10,00,000/-), बैंक ड्राफ्ट संख्या 572608 (₹10,00,000/-), बैंक ड्राफ्ट संख्या 572609 (₹10,00,000/-) तथा बैंक ड्राफ्ट संख्या 572610 (₹10,00,000/-), जो पंजाब नेशनल बैंक पर आहरित हैं, आज न्यायालय में सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आयुष मिश्रा को सौंप दिए गए। उक्त ड्राफ्टों की छायाप्रतियाँ भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गईं, जिन्हें अभिलेख पर ग्रहण किया गया।

3. उपर्युक्त भुगतान को दृष्टिगत रखते हुए, प्रथमदृष्टया न्यायालय का मत है कि पक्षकारों के मध्य विवाद दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है। न्यायालय आवेदक की देयता अथवा देयता की सीमा पर कोई टिप्पणी करने से विरत रहता है, क्योंकि यह विषय उपर्युक्त न्यायालय द्वारा उपर्युक्त कार्यवाही में विचारणीय है, न कि इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार करते समय। तथापि, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, जहाँ विवाद मुख्यतः धन संबंधी लेन-देन से संबंधित है तथा आवेदक ने 40 लाख रुपये के बैंक ड्राफ्ट देकर अपनी सद्भावना प्रदर्शित की है, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12.03.2026 की पुष्टि की जाती है।

4. अतः, उपर्युक्त के आलोक में, यदि आवेदक-प्रवेश की गिरफ्तारी होती है, तो उसे वाद

अपराध संख्या 128/2025, धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 भारतीय दण्ड

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संहिता, थाना-सेक्टर-142, नोएडा, जनपद-गौतम बुद्ध नगर में, दिनांक 12.03.2026 के आदेश में वर्णित समान शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाएगा।

5. आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

दिनांक: 17 मार्च, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।